न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 206/2016 **दायरा दिनांक : 25.10.2016**

उनवान

दिनेश आत्मज शंकरलाल, जाति भील, निवासी रून्जी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— श्यामलाल आत्मज शंकर लाल, जाति भील, निवासी झिरनिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2— बालचन्द आत्मज भैरू लाल, जाति भील, निवासी झिरनिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3— शम्भू लाल आत्मज भैरू लाल, जाति भील, निवासी झिरनिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

4— देवी लाल आत्मज शंकरलाल, जाति भील, निवासी रून्जी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

5— मांगीलाल आत्मज भंवर लाल, जाति भील, निवासी रून्जी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

6— श्रीमती सोहन बाई पुत्री भंवर लाल, जाति भील, निवासी रून्जी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

7— श्रीमती शांति बाई पुत्री भंवर लाल, जाति भील, निवासी रून्जी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

8— श्रीमती जडावा बाई पुत्री भंवर लाल, जाति भील, निवासी रून्जी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

9— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

10 श्रीमती मोहनी बाई पुत्री भंवर लाल, जाति भील, निवासी रून्जी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 13.12.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 116/दावा/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट क्रम 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा एवं बंटवारा डिक्री कर विवादित आराजी 23 बीघा 19 बिस्वा ग्राम रून्जी, तहसील पचपहाड़ के मामले में वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार टीनेन्ट घोषित कर बंटवारे का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के कानूनी प्रावधानों को नजर अन्दाज कर रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 का वाद डिक्री किया है जबकि पत्रावली रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण क्रम 2 व 8 की तलबी में जैरकार था इस दौराने लोक अभियान चलने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा लिये बिना ही व तनकीयात कायम किये बिना ही सीधे ही

एक तरफा साक्ष्य लेकर वाद डिक्री कर दिया जो अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के दावे में वर्णित सजरे के मुताबिक नन्दू बाई को खातेदार भंवर लाल की पत्नी होना मान लिया जबकि विवादित आराजी 23 बीघा 19 बिस्वा का खातेदार भंवरलाल पुत्र कान्हा निवासी रून्जी था और उसके एक मात्र पत्नी धापू बाई थी, जिसके वारिसान अपीलांट व अन्य विवादित आराजी के वर्तमान में भी रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार हैं एवं नन्दू बाई तो भंवर लाल पुत्र मगन निवासी झिरनियां की पत्नी थी खातेदार भंवरिया से उसका किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा । ऐसी स्थिति में उसके वारिसान अपीलांट का विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं बनता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया । विवादित मामले में मुख्य बिन्दु यह है कि नन्दूबाई खातेदार भंवरलाल आत्मज कान्हा की पत्नी है या नहीं के बिन्दु के बाद तनकीयात ही दोनों पक्षों की साक्ष्य के बाद ही तय किया जा सकता है । यदि नन्दू बाई का भंवरलाल आत्मज कान्हा से कोई सम्बन्ध होता तो वक्त कार्यवाही नामान्तरकरण भी अपना पक्ष रख सकती थी अधनीस्थ न्यायालय ने बिना आधार के नन्दू बाई को भंवरलाल पुत्र कान्हा की पत्नी मानने में त्रुटि की है । कानूनन यह बिन्दु सिविल कोर्ट द्वारा ही तय किया जा सकता है कि भंवर लाल की पत्नी नन्दू बाई थी या नहीं । पत्रावली तलबी प्रतिवादी क्रम 2 व 8 में चल रही थी इसी दौरान राजस्व अभियान शुरू होने से प्रतिवादी क्रम 1 अपना जवाब भी प्रस्तुत नहीं कर सका और कानूनी प्रावधानों के विपरीत राजस्व लोक अदालत में अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय व जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2016 अपास्त की जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपील के तथ्य पत्रावली पर प्रमाणित है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2016 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा